


II/विग०/शेवा (क्यू-श०) 2018/02/50

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा ॥म०प्र०॥



10/

रामनिहोर साकेत तनय मनीराम साकेत उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम डिनौता
588 थाना व तहसील सेमरिया जिला रीवा ॥म०प्र०॥ ----निगरानीकर्ता

बनाम

गयादीन साकेत तनय इनिया साकेत निवासी ग्राम डिनौता 588 थाना व
तहसील सेमरिया जिला रीवा ॥म०प्र०॥ ----गैरनिगरानीकर्ता

अध्यायिका विवागत
साकेत द्वारा देखा
03-04-18

कलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विस्तृत आदेश राजस्व निरीक्षण मण्डल वृत्त
शाहपुर तहसील सेमरिया के सीमांकन प्रकरण क्रमांक
57/2016-17 आदेश दिनांक 3-7-2017.

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता
सन् 1959 ई० ।

मान्यवर,

संदेह में तथ्य इस प्रकार है कि:-

॥अ॥ यह कि गैरनिगरानीकर्ता गयादीन साकेत द्वारा अपनी आराजी
खसरा क्रमांक 584/2 स्थित ग्राम डिनौता तहसील सेमरिया वृत्त शाहपुर
का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था । जिसमें हल्का पटवारी
द्वारा सरहदशीकाश्तकार निगरानीकर्ता सहित गैरनिगरानीकर्ता एवं म०प्र०
मनविभ्राम, रमाप्रताप सिंह को सूचना पत्र दिये जाने का लेख है । जिसका
सीमांकन फील्ड बुक दिनांक 3-7-2017 को तैयार किया जाकर सीमांकन

[Handwritten signature]



रामनिहोर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II/निग0/रीवा/भू-रा0/2018/2150

जिला-रीवा

रामनिहोर साकेत/ गयादीन साकेत

(1)	(2)
18-12-18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री शिवानन्द साकेत अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल वृत्त शाहपुर, तहसील सेमरिया, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 57/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गया है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16.02.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p style="text-align: center;"></p>